न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-1)/विशेष न्यायाधीष द0प्र0क्षे0 अधिनियम महोबा
पीठासीन अधिकारी- ध्रुव राय, एच0जे0एस0

UPMB010010722026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-19/2026
कम्प्यूटर नं0-107/2026
शिव प्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया बनाम बबली सिंह आदि

14.07.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी शिव प्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी0एन0एस0एस0 पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

2. प्रार्थी शिव प्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी0एन0एस0एस0 विरूद्ध विपक्षीगण बबली सिंह आदि प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुख्य रूप से इस आशय के कथन किए गए हैं कि प्रार्थी ग्राम ऐंचाना थाना खरेला जिला महोबा, उ०प्र० का निवासी है। प्रार्थी अपने गांव में ईट गिट्टी आदि का डम्प किये है, जिसका जी०एस०टी० नं०-09डी.सी.आई.पी.7282जेड.एन. है। प्रार्थी का उक्त प्रतिष्ठान भदौरिया इन्टर प्राईजेज के नाम से संचालित है। प्रार्थी के गांव की बबली सिंह पत्नी श्री वीर सिंह एक स्वछन्द प्रकृति की आपराधिक सोच वाली महिला है। मार्च 2026 में उक्त बबली सिंह ने आपराधिक षडयंत्र करके प्रार्थी के विरूद्ध थाना खरेला में हत्या का प्रयास तथा बलात्कार आदि का झूँठा मुकदमा लिखाया था, जिसमें विवेचना उपरान्त पुलिस ने प्रार्थी के विरूद्ध उक्त से सम्बन्धित गम्भीर धाराओं को हटाया था। उक्त बबली सिंह पूर्व से ही प्रार्थी से रंजिश मानती है तथा आये दिन प्रार्थी के विरूद्ध षडयंत्र करती रहती है। इसी क्रम में उक्त बबली सिंह दिनांक-01.06.2026 को समय लगभग 6.00 बजे शाम अपने साथ अपने पुत्र नीतव्य सिंह पुत्र वीर सिंह व सुदर्शन सिंह पुत्र हल्के सिंह, अज्जू पुत्र सुदर्शन सिंह, गोविन्द पुत्र मुन्ना सिंह, चिंगी पुत्र राजू आदि को लेकर प्रार्थी के डम्प पर आयी और एक राय होकर हमलावार होते हुए बोले कि मारों साले को, आज बचने न पाये और सभी लोग लात-घूंसों से बुरी तरह से प्रार्थी की मारपीट करने लगे तथा प्रार्थी की गोलक में रखा बिक्री का आढ हजार रूपया तथा जी०एस०टी० के तीन रसीद कट्टा छीन लिये, प्रार्थी चिल्लाया तो चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के रामबहादुर पुत्र शिवचरन व सीमा पुत्री शिव बालक तथा डम्प कर ईंटा खरीदने आये निराला पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम वारी थाना खरेला, जिला महोबा तथा अन्य कई लोगों ने ललकारा और प्रार्थी को बचाया, तब उक्त सभी लोग भविष्य में देख लेने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। उक्त मारपीट में प्रार्थी के शरीर में कई गम्भीर चोटें आयी हैं। प्रार्थी घटना दिनांक को ही उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना खरेला गया, किन्तु प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और न ही प्रार्थी के शरीर की चोटों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। तब प्रार्थी ने दिनांक-03.06.2026 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोबा को प्रार्थना पत्र देकर व शपथ पत्र देकर व शुल्क जमा कर अपने शरीर की चोटों का मेडिकल परीक्षण कराया है तथा दिनांक-04.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा की सेवा में जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई

है। प्रार्थी उक्त घटना से अत्यधिक भयभीत व डरा हुआ है। उक्त लोग प्रार्थी के साथ कभी भी कोई गम्भीर घटना कारित कर सकते हैं।

3. प्रार्थना पत्र में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में कथन करते हुए प्रार्थी की ओर से थानाध्यक्ष थाना खरेला, जिला महोबा को, बबली सिंह पत्नी श्री वीर सिंह, नीतव्य सिंह पुत्र वीर सिंह व सुदर्शन सिंह पुत्र हलके सिंह, अज्जू पुत्र सुदर्शन सिंह, गोविन्द पुत्र मुन्ना सिंह, चिंगी पुत्र राजू निवासीगण ग्राम ऐंचाना थाना खरेला जिला महोबा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी है।

4. अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में प्रार्थी शिव प्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया की ओर से स्वयं का शपथ पत्र व सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

5. सम्बन्धित थाने से प्रकरण के सम्बन्ध में जो आख्या प्राप्त हुई है, उसके अनुसार प्रार्थी शिवप्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया पुत्र वीरभान सिंह ग्राम ऐंचना में ईंटे गिट्टी आदि का डम्प किये है, जिसका जी०एस०टी० नं०-09 डी.सी.पी.पी 7282 एन 1 जेड. एन. है। उक्त प्रतिष्ठान भदौरिया इन्टर प्राइजेज के नाम से संचालित है। उक्त डम्प वाली जमीन को ग्राम की आरोपी बबली सिंह पत्नी वीर सिंह अपनी निजी जमीन होने का दावा कर रही है। प्रार्थी शिवप्रताप उक्त जमीन को ग्राम समाज की भूमि बताकर उक्त जमीन पर अपना डम्प चला रहा है। उक्त जमीन को लेकर शिवप्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया बनाम बबली सिंह के मध्य सिविल कोर्ट में वाद दायर है जो विचाराधीन है। उक्त डम्प की जमीन के विवाद को लेकर दिनांक-04.03.2026 को समय 19.30 बजे प्रार्थी शिवप्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया आदि 05 नफर के द्वारा एक राय होकर आरोपी बबली सिंह व उसकी पुत्री शिवानी सिंह का रास्ता रोककर लात घूंसों से मारपीट गाली गलौज करना व पुत्री शिवानी के साथ अश्लील हरकते करते हुए बलात्कार का प्रयास करना व कपड़े फाड़ देना व आरोपी के लड़के नीतव्य द्वारा ललकारने पर प्रार्थी शिवप्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया द्वारा तमंचा से नीतव्य के ऊपर फायर कर देना व जान से मार देने की धमकी देते हुए भाग गये, जिसकी सूचना आरोपी बबली सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर दिनांक-07.03.2026 को मु०अ०सं०-18/2026 धारा-126, 75, 115(2), 352, 351(1), 288 बी०एन०एस० व धारा-3/25 आर्मस एक्ट में पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है, जिसमें प्रार्थी शिवप्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जेल से प्रार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी बबली सिंह पर दवाब बनाने के लिए प्रार्थी शिवप्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया उपरोक्त दिनांक-01.06.2026 को समय 18.00 बजे बढ़ा-चढ़ा कर मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जब कि प्रार्थी के डम्प के आस-पास निवास करने वाले व ग्राम वासियों से उक्त घटना 01.06.2026 के बारे में जानकारी की गयी तो घटना की पुष्टि नहीं हुई, जिससे यह मालूम होता है कि प्रार्थी शिवप्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया द्वारा पूर्व में अपने विरूद्ध श्रीमती बबली सिंह द्वारा पंजीकृत कराये गये मु०अ०सं०-18/2026 धारा उपरोक्त के सम्बन्ध में पेशबन्दी में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसकी जाँच से पुष्टि नहीं हो पायी है। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

6. न्यायालय द्वारा पत्रावली तथा विधि के प्राविधानों एवं सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया। सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या से यह तथ्य दर्शित होता है कि मामला आवेदक के डम्प वाले स्थान को लेकर विवाद से सम्बन्धित प्रतीत हो रहा है। उक्त परिस्थितियों में घटना लूट करने के उद्देश्य हुई है या घटना अन्य किसी कारण से हुई है, इस सम्बन्ध में समुचित जांच आवश्यक है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि प्रकरण में दस्यु प्रभावित क्षेत्र

अधिनियम गठित इस विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित हो सकती है या नहीं।

7. **रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 एवं सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(6) ए0एल0जे0 424** में प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय के मत में प्रार्थी शिव प्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद वाद के रूप में दर्ज होकर प्रचलित होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी शिव प्रताप उर्फ रज्जू भदौरिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद वाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-223 बी०एन०एस०एस० दिनांक-21.08.2026 को प्रस्तुत हो।

दिनांक-14.07.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०-1)/
विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र
अधिनियम, महोबा।
J.O. No. UP2402

Digitally signed by DHRUVA RAI
Date: 2026.07.14 16:45:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court